विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 4 अक्तूबर, 2016

संख्याः एल0एल0आर0–डी0(6)–24/2016–लेज.–हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 01–10–2016 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2016 (2016 का अध्यादेश संख्यांक 4) को संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई–राजपत्र में प्रकाशित करते हैं ।

आदेश द्वारा,
(डा0 बलदेव सिंह),
प्रधान सचिव (विधि)।

2016 हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक–4

हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2016

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित।

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) का और संशोधन करने के लिए अध्यादेश।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं है और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उनके लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :–

1. **संक्षिप्त नाम.**–इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2016 है।

2. **धारा 6 का संशोधन.**–हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 6 के खण्ड (क) परन्तुक में, "25" अंकों के स्थान पर "37" अंक रखे जाएंगे।

(आचार्य देवव्रत)
राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश।

(डॉ0 बलदेव सिंह)
प्रधान सचिव (विधि)।

शिमलाः

तारीखः 01—10—2016

———————

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

H.P. Ordinance No. 4 of 2016.

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL CORPORATION (SECOND AMENDMENT) ORDINANCE, 2016

Promulgated by the Government of Himachal Pradesh in the Sixty-seventh Year of the Republic of India.

An Ordinance further to amend the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (Act No. 13 of 1994).

WHEREAS, the Legislative Assembly of Himachal Pradesh is not in session and the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:-—

1. Short title.—This Ordinance may be called the Himachal Pradesh Municipal Corporation (Second Amendment) Ordinance, 2016.

2. Amendment of section 6.—In section 6 of Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994, in clause (a), in the *proviso*, for the words "twenty five", the words "thirty seven" shall be substituted.

(ACHARYA DEVVRAT)
Governor, Himachal Pradesh.

———————

(DR. BALDEV SINGH)
Pr. Secretary (Law).

Shimla:

The 01-10-2016.